5– रिफ्यूज एरियाः प्रश्नगत भवन में बालकानी निर्मित है ।

घ–अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः–

1–भूमिगत टैंकः– प्रश्नगत भवन में 200000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टैंक कार्यशील दशा में पाया गया।

2–फायर पम्पः– भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 के दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प व 2280 एल0पी0एम0 का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प व 180 एल0पी0एम0 का जौकी पम्प स्थापित व कार्यशील दशा में पाये गये।

3–होजरील/डाउनकमरः– भवन में होजरील, डाउनकमर, लेण्डिंग वाल्व होज केविनेट कार्यशील दशा में पाये गये।

4–वेटराइजरः– भवन में वेटराईजर सिस्टम का प्रावधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप कार्यशील दशा में स्थापित है ।

5–मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत व्लाक के प्रत्येक तल पर मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम कार्यशील दशा में स्थापित है।

6–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः–प्रश्नगत व्लाक के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कार्यशील दशा में पाये गये।

7–टेरेस टैंकः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के टेरेस पर 10000 लीटर पानी की क्षमता का टेरेस टैंक कार्यशील दशा में स्थापित है।

8–प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर्स) प्रश्गत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर्स मानकों के अनुरूप स्थापित पाये गये।

9–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम स्थापित है।

10–यार्ड हाइड्रेण्टसः– भवन के चारों तरफ यार्ड हाईड्रेण्टस कार्यशील दशा में पाये गये ।

11–एग्जिट साईनेजः– प्रशनगत भवन के सभी तलों पर एग्जिट साईनेज स्थापित पाये गये।

12–पी0ए0 सिस्टमः प्रश्नगत भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर प्लाट न0–जी0एच0–08 सैक्टर–75 नोएडा जनपद गौतमबुद्वनगर में मैसर्स एम्स मैक्स गार्डेनिया डवलपर्स द्वारा निर्मित आवासीय अपार्टमेन्ट कुल 13 टावर न0–ए1,ए,बी1,बी,सी1,सी,डी,ई,एफ, जी,एच,आई,जे की अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के आधीन निर्गत की जाती है ।

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित करने की कृपा करें कि भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने के लिए इसका मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाया जाय तथा शेड्यूल के अनुरूप सिस्टम को कार्यशील दशा में रखा जाय ।

2– भवन में स्थापित अग्नि शमन प्रणाली के संचालन के लिए प्रशिक्षित अग्नि शमन कर्मी नियुक्त किये जाय।

3– किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

4– भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर तत्काल नजदीकी अग्नि शमन केन्द्र को सूचित किया जाय तथा त्रुटि को तत्काल ठीक कराया जाय ।

5– प्रत्येक छः माह में भवन में कार्यरत सभी कर्मियों को मॉक ड्रिल/ इमरजेन्सी इवेक्यूवेशन ड्रिल कराई जाय ताकि किसी भी आपात स्थिति सभी अपने उत्तर दायित्व का निवान्ह कर सकें ।

6– वर्ष में एक बार अग्नि शमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।

7– भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा उदासीनता के कारण अकार्यशील दशा में पाये जाने पर उत्तर दायित्व प्रबन्धक को होगा तथा निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

(सुनील कुमार सिंह)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गौतमबुद्वनगर

प्रतिलिपिः 1–अग्नि शमन अधिकारी फेज प्रथम नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2– मैसर्स एम्स मैक्स गार्डेनिया डवलपर्स प्रा0लि0 प्लाट न0–जी0एच0–08 सैक्टर–75 नोएडा जनपद गौतमबुद्वनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्र संख्या: भ– 29 /सीएफओ/जीबीएन–16/1718 दिनांक: अगस्त 2, 2016

सेवा में

मुख्य वास्तुविद नियोजक
सैक्टर–06 नोएडा
गौतमबुद्धनगर

विषय: मैसर्स प्लाट न0–जी0एच0–08 सैक्टर–75 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित मैसर्स एम्स मैक्स गार्डेनिया डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा निर्मित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन कुल 13 टावर की कम्पलीशन अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

यू0आई0डी0 2016/19235/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4596/डी0डी0

महोदय,

कृपया भवन स्वामी के पत्र दिनांक 25–07–2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें विषयक भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है । जिसके क्रम में मेरे द्वारा प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी फेज प्रथम नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर से कराया जिनकी आख्या कार्यालय प्राप्त हुई जिसका मेरे सुसंगत मानकों के अनुरूप परिशीलन किया गया जो निम्नवत है ।

भवन की संरचना: कुल प्लाट एरिया: 34833.00 वर्ग मीटर है ।

क्र0स0	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया	ऊचॉई
1	टावर ए1	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	546.362 वर्ग मीटर	525.632 व 527.156 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
2	टावर ए	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	546.309 वर्ग मीटर	525.632 व 527.156 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
3	टावर बी1	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	511.855 वर्ग मीटर	491.251 व 492.013 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
4	टावर बी	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	494.567 वर्ग मीटर	474.027 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
5	टावर सी1	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	448.051 वर्ग मीटर	439.691 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
6	टावर सी	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	448.051 वर्ग मीटर	439.691 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
7	टावर डी	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	765.575 वर्ग मीटर	748.673 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
8	टावर ई	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	448.051 वर्ग मीटर	439.691 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
9	टावर एफ	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	494.683 वर्ग मीटर	474.286 व 474.667 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
10	टावर जी	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	546.070 वर्ग मीटर	525.393 व 526.917 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
11	टावर एच	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	579.929 वर्ग मीटर	439.691 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
12	टावर आई	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	688.588 वर्ग मीटर	491.241 व 492.003 वर्ग मीटर	48.50 मीटर
13	टावर जे	2 बेसमेन्ट+भूतल+15 तल	687.630 वर्ग मीटर	525.393 व 526.917 वर्ग मीटर	48.50 मीटर

अपर बेसमन्ट: 28446.652 वर्ग मीटर।

लोअर बेसमेन्ट: 28446.652 वर्ग मीटर।

ख–भवन के अधिभोग का विवरण:–

भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट जो नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट–4 में श्रेणी ए–04 के अन्तर्गत वर्गीकृत है ।

ग–ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्थाऐं

1– पहुँच मार्ग: भूखण्ड के सामने 30 मीटर चौड़ा रोड है ।

2– प्रवेश द्वार:– प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6 मीटर ।

3– सैट बैक: भवन के अग्रभाग में 20 मीटर, पृष्ठ भाग में 11 मीटर पार्श्व भाग में 11–11 मीटर सैट बैक उपलब्ध है जिसमें से 06 मीटर मोटीबुल हार्ड सरफेस सैट बैक उपलब्ध है।

4– निकास मार्ग: भवन के प्रत्येक ब्लाक में दो स्टेयर केस स्थापित है जिनकी चौड़ाई 1.5 व 1.20 मीटर है तथा ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।